


**कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नज़ारत अनुभाग),**  
**जनपद न्यायालय, हाथरस।**

**तीसरी नीलामी सूचना**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस (मुख्यालय) के प्रांगण में स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान, साईकिल स्टैंड, तथा फोटोस्टेट मशीन की दुकान (पूर्व में फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान) एवं नवीन न्यायालय परिसर, वाह्य न्यायालय, सिकन्दाराऊ में उपलब्ध रिक्त भूमि पर साईकिल स्टैंड को वित्तीय वर्ष 2025-2026 (दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक) के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु तीसरी नीलामी **दिनांक 20.03.2025 दिन बृहस्पतिवार, सायं 04:30 बजे** नियत है।


इच्छुक व्यक्ति नीलामी में भाग लेने हेतु समय से केन्द्रीय नज़ारत, जनपद न्यायालय, हाथरस में उपस्थित होकर जमानत धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करें। नीलामी से सम्बन्धित नियम एवं शर्तों या अन्य किसी प्रकार की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की आधिकारिक वेबसाईट <http://www.allahabadhighcourt.in>, एनआईसी, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट <http://www.hathras.nic.in> जनपद न्यायालय, हाथरस की आधिकारिक वेबसाईट <https://districts.ecourts.gov.in/hathras> एवं केन्द्रीय नज़ारत, हाथरस से कार्यालय समय में प्राप्त की जा सकती है।

दिनांक: 21.02.2025

  
(महेन्द्र श्रीवास्तव)  
अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०-01,  
हाथरस।

**आदेश**

अवलोकित। अनुमोदित

  
जनपद न्यायाधीश,  
हाथरस।  
25/02/2025

## कार्यालय जनपद न्यायाधीश (नजारत अनुभाग),

### जनपद न्यायालय, हाथरस।


#### इशतहार तीसरी नीलामी

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, हाथरस (मुख्यालय) के प्रांगण में स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान, साईकिल स्टैण्ड, तथा फोटोस्टेट मशीन की दुकान (पूर्व में फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान) एवं नवीन न्यायालय परिसर, वाह्य न्यायालय, सिकन्दाराऊ में उपलब्ध रिक्त भूमि पर साईकिल स्टैण्ड को वित्तीय वर्ष 2025-2026 (दिनांक 01.04.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक) के लिये वार्षिक ठेके पर उठाया जाना है, जिस हेतु तीसरी नीलामी दिनांक 20.03.2025 दिन बृहस्पतिवार, सायं 04:30 बजे जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में नीलामी की बोली बोलने हेतु नियत की गयी है। इच्छुक व्यक्ति समय से नीलामी की बोली बोलने हेतु जनपद न्यायालय परिसर, हाथरस में उपस्थित हों।

#### **नीलामी की आवश्यक शर्तें :-**

01. यह ठेका दिनांक 01.04.2025 से 31.03.2026 तक की अवधि के लिए वैध है।
02. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति को बोली बोलने हेतु सरकारी बोली, विगत वित्तीय वर्ष की बोली की धनराशि पर 10 प्रतिशत बढ़ाकर बोली जायेगी।
03. ठेके की बोली बोलने वाले को बोली बोलने से पूर्व बतौर जमानत रु० 20,000/- (बीस हजार) की धनराशि, मुख्यालय पर स्थित ठेके (मुख्यालय हेतु) एवं जमानत रु० 10,000/- (दस हजार) की धनराशि (वाह्य न्यायालय, सिकन्दाराऊ हेतु) को जमा करना होगा। नीलामी की समाप्ति पर यदि उसके नाम ठेका नहीं छूटता है, तो जमानत धनराशि उस व्यक्ति को वापस कर दी जायेगी।
04. वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मुख्यालय पर स्थित साईकिल स्टैण्ड ठेके का आधार मूल्य रु० 22,00,000.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 की तुलना में (रु० 20,00,000.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है।
05. वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मुख्यालय पर स्थित नाम परिवर्तित फोटोस्टेट मशीन की दुकान (पूर्व नाम फल-फ्रूट चाट-चबैना की दुकान) का आधार मूल्य रु० 66,110.00 की धनराशि होगी, जो अन्तिम बार उठे वित्तीय वर्ष 2020-2021 की तुलना में (रु० 60,100.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है।
06. वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु मुख्यालय पर स्थित तम्बाकू रहित पान की दुकान का आधार मूल्य रु० 78,100.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 की तुलना में (रु० 71,000.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है।
07. वित्तीय वर्ष 2025-2026 हेतु वाह्य न्यायालय, सिकन्दाराऊ स्थित साईकिल स्टैण्ड ठेके का आधार मूल्य रु० 3,53,100.00 की धनराशि होगी, जो वित्तीय वर्ष 2024-2025 की तुलना में (रु० 3,21,000.00 की धनराशि से) 10 प्रतिशत अधिक है।
08. जिस व्यक्ति/सर्वाधिक बोलीदाता के हक में ठेका छोड़ा जायेगा, उसको नीलामी की समस्त धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा तथा शेष धनराशि 25-25 प्रतिशत की 03 त्रैमासिक किस्त (01 जुलाई-2025, 01 अक्टूबर-2025 एवं 01 जनवरी-2026) में जमा करना होगा। यदि वह समस्त धनराशि जमा नहीं करता है तो उसकी जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।
09. अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति/सर्वाधिक बोलीदाता के पक्ष में ठेका छोड़ा जायेगा।
10. ठेके को स्वीकृत एवं निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश होगा।
11. किसी भी ठेकेदार को ठेके को बेचने का अधिकार नहीं होगा। अपने किसी रिश्तेदार, सगे-सम्बन्धी या किसी अन्य को ठेका हस्तान्तरित नहीं करेगा।

12. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके को अनुमोदित किया जायेगा, वह ठेके की चिन्हित जगह पर ही कार्य करेगा। अन्य किसी स्थल पर कार्य करने का अधिकारी नहीं होगा।
13. जिस भी ठेकेदार के पक्ष में ठेके/दुकान को अनुमोदित किया जायेगा, उसको अपने साथ दो जमानतदार (मय जमानत प्रपत्र) भी उपस्थित करना पड़ेगा।
14. ठेकेदार पानी एवं बिजली की व्यवस्था स्वयं करेगा।
15. प्रत्येक ठेकेदार को जिसके नाम ठेका छोड़ा जायेगा, उसे नियमानुसार अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा उसे नियमानुसार 100 रुपये का स्टॉम्प एवं अपना आधार कार्ड लेकर आना होगा।




(महेन्द्र श्रीवास्तव)

अध्यक्ष, नीलामी समिति /

अपर जनपद न्यायाधीश, कोर्ट सं०-01,  
हाथरस।

**प्रतिलिपि-**

1. जिला जज, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
2. मुंसिफी हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
3. नगर पालिका, हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
4. कलैक्ट्रेट के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
5. मुनादी कराये जाने हेतु।
6. समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु।
7. तहसील हाथरस के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

  
अध्यक्ष, नीलामी समिति /  
अपर जनपद न्यायाधीश,  
कोर्ट सं०-01, हाथरस।